



कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, नं1, स्टाफ रोड,
सिकंदराबाद - 500009

OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS
NO.1, STAFF ROAD, SECUNDERABAD – 500 009.
PHONE NO : 040-27843385, FAX NO. 040 – 27817275

IMPORTANT CIRCULAR

NO. AN/I/2081/O/DISP/VOL.II

DATE :02.11.2016

To

1. The Addl. CDA i/c, PAO (ORs) EME, Sec'bad
2. The ACDA i/c, PAO (ORs) AOC, Sec'bad
3. All IDAS Officers in the Main Office
4. The SAO i/c AAO (Army), Vizag
5. All SAOs/AOs/AAOs and Staff of Main Office
6. All Sub-offices under CDA, Secunderabad.

SUB: Unauthorised Communication of Classified Information.

REF: This office circular No. AN/I/2081//DISP/VOL.II dt. 30.03.2011.


It has been informed by the Hqrs. Office that the Director General Military Intelligence (DGMI) has recently reported a matter regarding sharing of sensitive information by some of our field offices. As stated the foreign intelligence operatives (Viz. PIO) may collect information through phone calls made under assumed identity. The LAO/PAO (ORs) offices are particularly vulnerable. The PIOs may elicit information about location and movement of units/formations, names of the commanders etc. under assumed identity. Sharing such classified/restricted information could endanger our national security.

Considering gravity of the issue, it is requested that all officers and staff may be sensitized about the imperative need to choke the flow of classified information and ensure that no such information is shared with unidentified/unauthorized callers. Officers and staff may be instructed to be extremely cautious while dealing with sensitive information and may not divulge information to any unknown/unauthorized person. It is emphasized that the offence of wrongful communication of information will attract punishment under Official Secrets Act, 1923 besides attracting disciplinary action under relevant discipline Rules.

3. This communication may be given wide circulation and contents may please be got noted by all the officers and staff and their signatures may be obtained and kept on record.

Please acknowledge receipt.

CDA has seen.


(Siva Sankar Bandi)
ACDA (AN)



कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, न 1 .स्टाफ रोड, सिकंदराबाद 009 500
OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS
NO.1 STAFF ROAD, SECUNDERABAD - 500009

दूरभाष 040- 27843385,

फैक्स सं-040 .27817275

महत्वपूर्ण परिपत्र

संख्या: AN/I/2081/O/DISP/Vol.II

दिनांक: 02.11.2016

सेवा में,

1. प्रभारी रक्षा लेखा अपर नियंत्रक, वे.ले.का(अन्य श्रेणी) ईएमई सि'बाद
2. प्रभारी रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक, वे.ले.का (अन्य श्रेणी) से.आ.कोर सि'बाद
3. मुख्य कार्यालय के सभी भा.र.ले.से. अधिकारी
4. प्रभारी वरिष्ठ लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (थलसेना), वैजाग
5. मुख्य कार्यालय के सभी वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी/सहा.लेखा अधिकारी एवं कर्मचारी
6. रक्षा लेखा नियंत्रक सि'बाद के अधीन सभी उप कार्यालय

विषय: वर्गीकृत सूचना का अनाधिकृत संप्रेषण

संदर्भ: इस कार्यालय का दिनांक 30.03.2011 का परिपत्र सं. AN/I/2081/O/DISP/Vol.II


मुख्यालय कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई है कि हमारे कुछ फील्ड कार्यालयों द्वारा संवेदनशील सूचना के आदान-प्रदान करने के संबंध में महानिदेशक सेना आसूचना (डी.जी.एम.आई.) ने हाल ही में एक मामले की रिपोर्ट की है। जैसा निर्दिष्ट है कि विदेश आसूचना कार्यकारी (अर्थात् पी.आई.ओ) स्वीकृत पहचान के अधीन दूरभाष पर की गई बातचीत से सूचना एकत्र कर सकती है। स्था.ले.प.का./वे.ले.का(अ.श्रे.) कार्यालय विशेषरूप से संवेदनशील है। पी.आई.ओ स्वीकृत पहचान के अधीन ईकाईयों/रचनाओं के स्थान एवं गतिविधि, कमांडर के नाम आदि के बारे सूचना निकाल सकते हैं। ऐसी अनाधिकृत/प्रतिबंधित सूचना का आदान-प्रदान हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है।

मामले की गुरुत्व को समझते हुए, यह अनुरोध है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनाधिकृत सूचना के प्रवाह के अवरोधन की अनिवार्य आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जाए एवं सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी सूचना का अनाधिकृत/अप्राधिकृत व्यक्तियों के साथ आदान-प्रदान न किया जाए। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया जाए कि संवेदनशील सूचना पर कार्य करने के दौरान विशेष सावधानी बरतें एवं किसी भी अपरिचित/अप्राधिकृत व्यक्ति के साथ सूचना साझा नहीं करें। सूचना के आदान-प्रदान के दोषपूर्ण अपराध के लिए सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 के अधीन दंडित किया जायेगा। इसके अलावा संगत अनुशासन नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

3. इस सूचना को वृहत रूप से परिचालित किया जाए एवं इसकी अंतर्वस्तु सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नोट कराया जाए तथा सभी के हस्ताक्षर प्राप्त कर अभिलेख में रखा जाए।

कृपया पावती दें।

रक्षा लेखा नियंत्रक महोदय ने देख लिया है।


(शिव शंकर बंडी)

रक्षा लेखा सहा. नियंत्रक (प्रशा.)